



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072021-228604
CG-DL-E-30072021-228604

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2799]
No. 2799]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 29, 2021/ श्रावण 7, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 29, 2021/ SHRAVANA 7, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2021

का.आ. 3021(अ).—जहाँ, केंद्र सरकार को यह प्रतीत होता है कि जनहित में यह आवश्यक है कि एल० पी० जी० के परिवहन के लिए नुमालीगढ़ रिफाइनरी से दाबिदुबी भंडारण स्थल तक, असम के गोलाघाट जिले में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा पाइप लाइन बिछाई जानी चाहिए ;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसके भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 कि उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति, जिस तारीख को भारत के राजपत्र की प्रतियां इस अधिसूचना के साथ उपलब्ध कराता है, उस तारीख से 21 (इक्कीस) दिनों के भीतर, आपत्ति और सुझाव लिखित रूप में अतिरिक्त उपायुक्त (एलए) व सक्षम प्राधिकारी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, जिला गोलाघाट, असम को भेज सकता है।

और इस तरह की आपत्ति और सुझाव देने वाला प्रत्येक व्यक्ति यह भी बता सकता है कि वह व्यक्ति स्वयं / वकील द्वारा सुनवाई में कहाँ रहना चाहता है।

अनुसूची

जिल्ला : गोलाघाट				राज्य : असम			
सर्कल	मौज़ा	गाँव	पट्टा नं०	सर्वे नं / ब्लॉक नं	क्षेत्रफल		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	बिघा	कट्टा	लेसा
मोरांगी	मोरांगी	औगुरी छापरी गाँव	00	193	00	00	08
			45	136	00	00	10
			35	137	00	01	20
			00	139	00	00	05
			39	138	00	01	19
			38	132	00	01	20
			00	164	00	00	03
मोरांगी	मोरांगी	बरगरिया छापरी गाँव	26	33	00	01	20
			12	32	00	02	18
			39	39	00	00	01
खुमताई	खुमताई	४९ नं. खुमताई ग्रान्ट	01	259	00	00	16
			01	257	00	01	14
			01	260	00	01	09
			01	261	00	01	14
			00	NFR	00	02	19
			01	264	04	04	03
			01	262	00	00	06
			01	270	01	00	00
			01	218	05	05	00
खुमताई	खुमताई	१ नं. पतिया पथार	65	414	00	00	13
			65	415	00	00	19
			93	416	00	02	01
			09	419	00	02	08
			00	427	01	02	02
			76	422	00	01	15
			09	424	00	00	17
खुमताई	खुमताई	१ नं. पतिया पथार	03	423	00	00	01
			64	404	00	00	03
			58	403	00	00	08

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			73	401	00	03	15
			66	402	00	00	01
			66	428	00	00	04
			28	400	00	02	06
			08	397	00	01	08
			27	398	00	03	08
			75	432	00	00	01
			01	399	00	00	01
			00	441	00	01	18
			18	391	00	00	15
			00	442	01	02	02
			67	447	00	03	17
			02	443	00	01	02
			00	449	00	01	03
			114	451	00	00	09
			75	375	00	00	01
			20	373	00	00	12
			140	365	00	00	16
			27	367	02	01	00
			27	462	00	00	08
			98	366	00	00	12
			140	353	00	00	05
			66	352	01	02	03
			66	345	00	00	02
			60	346	00	01	13
			30	347	00	00	01
			70	337	01	00	19
			42	334	00	03	13
			52	333	01	00	14
			140	362	00	02	04
खुमताई	खुमताई	२ नं. पतिया पथार	70	8	00	01	16
			04	7	00	01	14
			70	6	00	01	01
			56	5	01	00	04
			56	4	00	01	03

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			55	2	01	02	15
			00	243	00	00	14
			17	245	00	04	15
			01	1	00	01	09
खुमताई	खुमताई	दाबीदुब्री गाँव	22	75	00	03	15
			03	76	01	01	02
			65	77	00	04	17
			00	67	00	00	06
			26	59	01	04	17
			30	58	01	01	02
			48	90	00	00	03
			44	91	00	00	10
			11	57	00	01	08
			03	94	01	00	10
			109	109	00	01	15
			00	96	00	00	04
			98	98	01	01	19
			01	97	00	01	02
			99	99	00	00	20
			01	196	05	03	03
			00	171	00	00	01

[फा. सं. आर-11025(14)/1/2021-ओआर-1/ई-37208]

पी सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th July, 2021

S.O. 3021(E).—Whereas, it appears to the Central Government that in the public interest it is necessary that for transportation of LPG from Numaligarh Refinery to Dabidubi LPG storage Terminal in the district of Golaghat, Assam the pipeline must be laid by Numaligarh Refinery Limited.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed here to;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within 21 (twenty-one) days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public send objection and suggestion in writing to the laying of the pipeline under the land to the Additional Deputy Commissioner (LA) & Competent Authority, Numaligarh Refinery Limited District Golaghat, Assam.

And every person Making such objection and suggestions may also state where he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

District : Golaghat

State: Assam

Circle	Mouza	Name of Village	Patta No	Survey No. / Block No.	Area 3-1		
					Bigha	Katha	Lossa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Morangi	Morangi	Ouguri Chapri Gaon	00	193	00	00	08
			45	136	00	00	10
			35	137	00	01	20
			00	139	00	00	05
			39	138	00	01	19
			38	132	00	01	20
			00	164	00	00	03
Morangi	Morangi	Bargariya Chapri Gaon	26	33	00	01	20
			12	32	00	02	18
			39	39	00	00	01
Khumtai	Khumtai	49 No. Khumtai Grant	01	259	00	00	16
			01	257	00	01	14
			01	260	00	01	09
			01	261	00	01	14
			00	NFR	00	02	19
			01	264	04	04	03
			01	262	00	00	06
			01	270	01	00	00
			01	218	05	05	00
Khumtai	Khumtai	1 No. Patiya Pathar	65	414	00	00	13
			65	415	00	00	19
			93	416	00	02	01
			09	419	00	02	08
			00	427	01	02	02
Khumtai	Khumtai	1 No. Patiya Pathar	76	422	00	01	15
			09	424	00	00	17
			03	423	00	00	01
			64	404	00	00	03
			58	403	00	00	08

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			73	401	00	03	15
			66	402	00	00	01
			66	428	00	00	04
			28	400	00	02	06
			08	397	00	01	08
			27	398	00	03	08
			75	432	00	00	01
			01	399	00	00	01
			00	441	00	01	18
			18	391	00	00	15
Khumtai	Khumtai	1 No. Patiya Pathar	00	442	01	02	02
			67	447	00	03	17
			02	443	00	01	02
			114	451	00	00	09
			75	375	00	00	01
			20	373	00	00	12
			140	365	00	00	16
			27	367	02	01	00
			27	462	00	00	08
			98	366	00	00	12
			140	353	00	00	05
			66	352	01	02	03
			66	345	00	00	02
			60	346	00	01	13
			30	347	00	00	01
			70	337	01	00	19
			42	334	00	03	13
			52	333	01	00	14
			140	362	00	02	04
Khumtai	Khumtai	2 No. Patiya Pathar	70	8	00	01	16
Khumtai	Khumtai	2 No. Patiya Pathar	04	7	00	01	14
			70	6	00	01	01
			56	5	01	00	04
			56	4	00	01	03
			55	2	01	02	15
			00	243	00	00	14
			17	245	00	04	15

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			01	1	00	01	09
Khumtai	Khumtai	Dabidubi Gaon	22	75	00	03	15
			03	76	01	01	02
			65	77	00	04	17
			00	67	00	00	06
			26	59	01	04	17
			30	58	01	01	02
			48	90	00	00	03
Khumtai	Khumtai	Dabidubi Gaon	44	91	00	00	10
			11	57	00	01	08
			03	94	01	00	10
			109	109	00	01	15
			00	96	00	00	04
			98	98	01	01	19
			01	97	00	01	02
			99	99	00	00	20
			01	196	09	04	13

[F. No. R-11025(14)/1/2021-OR-I/E-37208]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.